

राइट टू सर्विस एक्ट

सरकार ने बढ़ाया कदम अब आप भी न दें घूस



आपके दृढ़ संकल्प से आरटीएस होगा सफल

पढ़ना। राइट टू सर्विस एक्ट को हीरो जॉर्जी देकर नीतीश सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। अब आम जनता को अपना कर्तव्य निभाना होगा। दफ्तरों में काम करने के लिए जाँट कर लगे कि कर्मचारी हट्टे सौधे आवेदन करना होगा। फिर काम होने का इंजाय करवा होगा। अब काम के लटकपान भी नहीं जा सकेगा। लोक सेवा आरटीएस कर्मचारी से न सिर्फ सरकारी महकमे की कार्यशैली में बड़ा बदलाव अलग कॉलेज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अग्रचार के विरुद्ध जारी लड़ाई को और भाव्य भी बनाएगा। ऐसे में जरूरी है कि आम जनता भी सरकार का साथ देते हुए काम के लिए दफ्तरों में 'घूस न देने' का संकल्प ले ले। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंत्रालय को आरटीएस को मंजूरी देकर एंजिनाईस करवा

उठाया। इसके तहत हर काम के लिए समय सीमा तय कर दी गई। प्रखंड से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक हर काम का अंतर दिखाने लगेगा। लाइसेंस, बिजली कनेक्शन से लेकर प्रयाण पत्र बनवाने तक के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बनी बंद किन्हीं को जति प्रमाण पत्र बनवाना है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को हर हाल में तब समय सीमा में उनका काम करवा होगा। कई तब समय में काम नहीं होगा। है तो संबंधित अधिकारियों को जुर्माना देना होगा। ऐसे में अब काम करने के लिए 'चढ़ावा' देने का सिरस्टन खत्म करना होगा।



पहल

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी जन को और भाव्य बनाए आरटीएस
- सूबे में हर किसी को शॉर्टकट रास्ते से बचाने हुए 'न देने' की लेनी होगी शाय

राइट टू सर्विस एक्ट आम आदमी को सरकारी कार्यालयों का बेजह चक्कर लगाने और आर्थिक शोषण से बचाएगा। इस कानून का सबसे अधिक असर थाना प्रभारी से लेकर जिलास्तरीय अधिकारियों पर पड़ेगा, जिनसे आम आदमी का सीधा सरोकार होता है। नये कानून में जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की समय सीमा तय कर दी गई है। समय सीमा के भीतर निपटारा नहीं करके पत्र दोषी अफसर से प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तक के प्रावधान किये गये हैं।

समय पर काम नहीं करने पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना व विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

दंगे साथ ती बदलेगी सूत्र

अफसर से प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तक के प्रावधान किये गये हैं।

कार्य	नया एलटी कनेक्शन
निर्धारित समय	सभी आधारभूत सरचना रहने पर कनेक्शन 30 दिन में
वास्तविक स्थिति	तार-पोल रहने पर 30 दिन, नहीं रहने पर दो महीने
नजराना (आमती पर)	घरेलू कनेक्शन में एक से दो हजार रूपय के बीच। कर्माधिकार या इंटरिक्टिव मामलों में (सोड अधिक रहने पर) हजारों रूपय
कार्य निर्धारित समय	बिजली बिल की गड़बड़ी सुधार करवाना 24 घंटे (कोई नई सूचना की जरूरत नहीं तथा)। लेकिन किसी तरह की सूचना व मीटर जांच की आवश्यकता होने पर। सूचना व मीटर जांच की जरूरत पड़ने पर 7 दिन
वास्तविक स्थिति	घरेलू मामलों में पांच से दस हजार रूपय के बीच। कर्माधिकार या इंटरिक्टिव मामलों में कई हजार रूपय देने ही होते।
नजराना (आमती पर)	सामान्य घण्टी की भरमसात 4 घंटे
कार्य निर्धारित समय	4 से 6 घंटे
वास्तविक स्थिति	दो से तीन सौ रूपय
नजराना (आमती पर)	ताजम ब्रेकडाउन या केवल ब्रेकडाउन 6 घंटे
कार्य निर्धारित समय	6 से 8 घंटे (केवल ब्रेकडाउन तीन दिन)
वास्तविक स्थिति	नजराना आमती पर) कुछ नहीं



आपका क्या होगा जनावे आली...

पढ़ना

आईओ को उपलब्ध करा दी जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट	निर्धारित समय	वास्तविक समय
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	3 दिन	निर्भरता आईओ पर
मॉडकन कॉलेज	अईओ को मुहैया कराई जाती है। इससे पहले नियम था कि जितना जल्द हो सके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया कराया दे। अब तीन दिन निर्धारित किया गया है। बाने से सिवाही या फिर मुझे आकर संबंधित व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले जाता है। अब यह जाने पर निर्भर करता है कि वह रिपोर्ट कब मंगवाता है। पीएमसीय के कार्यालयों के विभागीय अधिकारी, आरकेबी सिंह का आईओ अब रिपोर्ट को मंग करता है उसे उपलब्ध करा दी जाती है। इससे पहले लड़क उमर नहीं था। नियम था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितनी जल्दी समय हो तबय कर दी जाय।	

प्रमाणपत्र समय पर बनें, बस बाहुओं से बचकर रहिए	तय समय	वर्तमान में	आमती पर रिखत
सामाजिक सुरक्षा पत्र	21 दिन	7-10 दिन	100-200 रूपय
जाति प्रमाण पत्र	15 दिन	3-4 दिन	100 रूपय
आय प्रमाण पत्र	15 दिन	3-4 दिन	100 रूपय
आवासीय प्रमाण पत्र	15 दिन	5-7 दिन	100 रूपय
खाद की दुकान	20-25 दिन	30 दिन	5000 रूपय
बीज की दुकान	20-25 दिन	30 दिन	5000 रूपय
कीटनाशी की दुकान	20-25 दिन	30 दिन	5000 रूपय

सरकारी सेवाओं की हालत

पारदर्शिता निर्मित करने के लिए पुलिस सत्यान प्रतियेदन तय समय : 7 दिन

वर्तमान स्थिति : 7 से 10 दिन

रिखत : एक से दो हजार आरमें लाइसेंस निर्मित करने के लिए पुलिस सत्यान प्रतियेदन तय समय : 7 दिन

वर्तमान स्थिति : 15 दिन से अधिक समय

रिखत : दो हजार रूपये सेना में निवृत्ति के लिए पुलिस सत्यान तय समय : 7 दिन

वर्तमान स्थिति : 3 से 7 दिन

रिखत : दो हजार या खुश सेक्टर कुछ भी

किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र के लिए पुलिस सत्यान प्रतियेदन तय समय : 7 दिन

वर्तमान स्थिति : 7 से 15 दिन

रिखत : 500 रूपये (रिखत आमती पर)

